जीसीसी इकाइयों को जमीन पर छूट, वसूली भी की जाएगी

- एसओपी में फ्रंट-एंड भूमि अनुदान शामिल
- पूर्वांचल व बुंदेलखंड में 50% तक अनुदान

लखनऊ, विशेष संवाददाता। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इकाईयों को सरकारी जमीन की खरीद पर अधिकतम 50% तक की छूट देने के साथ समय पर पूरी न होने पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से वसूली की जाएगी। जीसीसी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भूमि खरीद पर फ्रंट-एंड भूमि अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूर एसओपी में इस नई व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग दर पर अनुदान दिया जाएगा।

जीसीसी की पात्र इकाईयों के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में सर्वाधिक 50 प्रतिशत तक भूमि अनुदान की व्यवस्था है। इससे इन क्षेत्रों में नए निवेश और रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी। इसके अलावा गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में स्थापित होने वाली पात्र जीसीसी इकाइयों को 30 प्रतिशत और पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद को छोड़कर) तथा मध्यांचल क्षेत्र में 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अनुदान केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगी, जो किसी अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि प्राप्त करेंगी।